अध्यक्ष-सह-विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 18.07.2024 को हाइब्रिड मोड में आयोजित 68वीं प्राधिकरण बैठक का कार्यवृत्त।

MINUTES OF THE 68th AUTHORITY MEETING HELD ON 18.07.2024 IN HYBRID MODE, UNDER THE CHAIRMANSHIP OF DEVELOPMENT COMMISSIONER/CHAIRPERSON, SEEPZ-SEZ AUTHORITY.

निम्नलिखित उपस्थित थे: -The following were present:-

1. श्री सी.पी.एस. चौहान, जेडीसी, सीप्ज़ सदस्यसचिव/ एसईजेड

2. श्री हिमांश् धर पांडे, उप निदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय के नामिती

1. Shri C.P.S JDC, SEEPZ SEZ

Chauhan.

Member/ Secretary

सदस्य

2. Shri. Himanshu Dhar Pandey, Dy. Director, Nominee of Addl. Directorate General of Foreign Trade

Member

विशेष आमंत्रित:-

श्री आदिल कोतवाल, अध्यक्ष/सीईओ, मेसर्स क्रिएशन्स ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। पूर्व प्राधिकरण सदस्य।

. डॉ. प्रसाद वरवंतकर, डीडीसी, सीप्ज़-सेज़, श्रीमती वाई मंगला, सीनियर एओ, श्रीमती रेखा नायर, एडीसी (वित्त) और श्री राजेश कुमार, यूडीसीभी बैठक में सहायता और सुचारू संचालन के लिए उपस्थित हुए।

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और उसके बाद बैठक की एजेंडे पर विचार किया गया।

कार्यसूची मद सं .1:- दिनांक 27.04.2024 को आयोजित 67वीं प्राधिकरण बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ सर्वसम्मति से 27.04.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पृष्टि की:

संपदा अधिकारी को डिजिटल मार्केटिंग पर एक वैचारिक नोट तैयार करना है और इसे समीक्षा और प्रतिक्रिया के लिए सभी यूनिटधारक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

Special Invitee:-

a. Shri Adil Kotwal, Chairman/CEO of M/s. Creations Jewellery Mfg. Pvt. Ltd. Ex-**Authority Member**

Dr. Prasad Varwantkar, Estate Officer, DDC, SEEPZ SEZ, Smt. Y. Mangala, Sr. AO, Smt. Rekha Nair, ADC (Finance) & Shri Rajesh Kumar, UDC; also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.

The Chairperson welcomed all the members present and thereafter agenda of the meeting was taken up.

Agenda Item No. 1:- Confirmation of the Minutes of the 67th Authority meeting held on 27.04.2024.

Decision: After deliberation, the Authority confirmed the Minutes of the meeting held on 27.04.2024 with consensus with the following observations:.

Estate Officer to prepare a conceptual note on digital marketing and the same may be presented before all Unitholder for review and feedback.

कार्यसूची मद सं .1- क-: SEEPZ-SEZ प्राधिकरण के वित्त वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण पर विचार करने 24-2023 का प्रस्ताव।

SEEPZ-SEZ प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विधिवत लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण सदस्यों के समक्ष रखा गया।

विशेष आमंत्रित सदस्य श्री आदिल कोतवाल, मेसर्स क्रिएशन ज्वेलरी के सीईओ और प्राधिकरण के पूर्व सदस्य ने निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला।

- (क) बकाया किराये की वसूली में तेजी लाना,
- (ख) विगत अवधि के लिए कर छूट पर कार्रवाई आरंभ करना।

पूर्व सदस्य को सूचित किया गया कि यूनिट धारकों के साथ बैठक बुलाई गई थी और बकाया किराये के भुगतान में तेजी लाने के लिए कहा गया था और वसूली की समेकित रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

निर्णय:

विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण को मंजूरी दे दी।

समिति ने वार्षिक लेखे तत्काल सीआरए को भेजने का भी निर्देश दिया। Agenda Item No. 1A:- Proposal for consideration of Annual Financial Statements for F.Y. 2023-24 of SEEPZ-SEZ Authority.

The duly audited Annual Financial Statement for F.Y.2023-24 of SEEPZ-SEZ Authority was placed before the members.

Special Invitee Shri. Adil Kotwal, CEO of M/s. Creation Jewellery and Ex-Member of the Authority highlighted on following points.

- (a) to expedite the recovery of outstanding rental dues,
- (b) to initiate action on tax exemption for the past period.

The Ex- member was informed that meeting was convened with the Unit holders and asked to expedite the payment of rental dues and the consolidated report of recovery is under preparation.

Decision:

After deliberation, the Authority Approved the Annual Financial Statement for F.Y.2023-24.

Committee also directed to send the annual accounts to CRA urgently.

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

The meeting concluded with a vote of thanks to the Chair. यह सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Chairperson, SEEPZ SEZ Authority.

(सी.पी.एस.चौहान) संयुक्त विकास आयुक्त, सीप्ज़ सेज़,

सदस्य/सचिव